सं० — 198/1-11-2020

संख्याः बी–2–67/दस–2020–एम–01/2020

प्रेषक,

अपर मुख्य सचिव एवं वित्त आयुक्त,
वित्त विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. अपर मुख्य सचिव,
राजस्व विभाग/दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

2. प्रमुख सचिव
नगर विकास/ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज/श्रम/खाद्य एवं रसद/
समाज कल्याण/महिला कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (आय व्ययक) अनुभाग–2 लखनऊः 21 मार्च, 2020

विषयः विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा घोषित महामारी कोविड–19 के परिप्रेक्ष्य में सहायता उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा घोषित महामारी कोविड–19 के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न प्रकार की व्यवसायिक गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं जिससे दैनिक रूप से काम करने वाले मजदूरों आदि के सामने भरण पोषण की समस्या उत्पन्न होने की सम्भावना है।

संख्या 1716 / सी.एस.आर./2020

2– ऐसे दैनिक वेतनभोगियों तथा मजदूरों आदि को भरण पोषण हेतु सहायता उपलब्ध कराने पर विचार करने के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा मा0 वित्त मंत्री जी की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय मंत्री–समिति का गठन किया गया। समिति द्वारा दिनांक 20 मार्च, 2020 को अपनी रिपोर्ट मा0 मुख्यमंत्री जी को प्रस्तुत की गयी जिसकी **प्रति संलग्न** है। समिति की संस्तुतियों के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिया गया हैः–

(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव
राजस्व एवं बेसिक शिक्षा विभाग
उ0प्र0 शासन।

"समिति की संस्तुतियों में से कमांक 1 को छोड़कर शेष को अनुमोदित किया जाता है।

कमांक 2 से 7 पर अंकित संस्तुतियों के अनुसार सहायता देने के बाद भी ऐसे व्यक्ति बच सकते हैं, जिनके पास अपने परिवार के भरण–पोषण की सुविधा नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी तथा सम्बन्धित ग्राम पंचायत अधिकारी की समिति ऐसे व्यक्तियों की परिस्थितियों की जांच

23/3/20

कर सहायता हेतु अपनी संस्तुति जिला अधिकारी को उपलब्ध कराएगी। शहरी क्षेत्रों में सम्बन्धित नगर मजिस्ट्रेट/उप जिलाधिकारी एवं सम्बन्धित नगर निकाय के आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी की समिति इस प्रकार की संस्तुति जिलाधिकारी को उपलब्ध कराएगी। जिलाधिकारी द्वारा ऐसे पात्र पाए गए सभी जरूरत मन्द व्यक्तियों को 1000 रूपये प्रतिमाह की सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

समिति की अनुमोदित संस्तुतियों व उपर्यक्तानुसार दी जाने वाली सहायता से सम्बन्धित प्रकियाओं के शासनादेश तत्काल जारी कराए जाएं तथा समुचित वित्तीय व्यवस्था भी सुनिश्चित कर ली जाए।''

3— राज्य सरकार द्वारा लिये गये उक्त निर्णय के अनुपालन में उत्तर प्रदेश शासन के सभी सम्बन्धित विभाग विस्तृत शासनादेश जारी करने की कार्यवाही प्रत्येक दशा में दिनांक 24 मार्च, 2020 तक सुनिश्चित करेंगे।

4— उपरोक्त निर्णय के अनुपालन एवं अनुश्रवण हेतु राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन को नोडल विभाग नामित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता धनराशि राजस्व विभाग के बजट से जिलाधिकारियों के माध्यम से सम्बन्धित लाभार्थी को उपलब्ध करायी जायेगी। जिला स्तर पर अनुश्रवण का कार्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

5— इस सम्बन्ध में की जाने वाली कार्यवाही की निरन्तर समीक्षा मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के स्तर पर की जायेगी।

भवदीय,

संलग्नक: यथोपरि

(संजीव मित्तल)
अपर मुख्य सचिव

प्रतिलिपि: संख्या:— बी—2—67/दस—2020—एम—01/2020 तद्दिनांक

निम्नलिखित को सूचनार्थ

1. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।

(विवेक त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव